

न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर  
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रक.क्रमांक—173 / 2006  
 संस्थित दिनांक—13.04.2006  
 फाईलिंग क.234503000472006

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा वन परिक्षेत्र अधिकारी खापा,  
 कान्हा टाईगर रिजर्व मण्डला, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// विरुद्ध //

1—फगनसिंह वल्द लालसिंह गोंड, उम्र—46 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

2—दिलीपसिंह वल्द ईमरतसिंह गोंड, उम्र—38 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

3—झामसिंह वल्द गुटुन सिंह गोंड, उम्र—40 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

4—मन्नु वल्द शम्भु सिंह गोंड, उम्र—40 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

5—चैतराम वल्द दशरथ गोंड, उम्र—45 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

6—मानसिंह वल्द शम्भू सिंह गोंड, उम्र—42 वर्ष,  
 निवासी—ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
 तहसील बैहर, जिला—बालाघाट (म.प्र.)

7-चैनसिंह वल्द बहोरन गोंड, उम्र-42 वर्ष,  
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

8-दुरुपसिंह वल्द जालमसिंह गोंड, उम्र-74 वर्ष,  
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

9-प्रेमसिंह वल्द हरेसिंह, उम्र-42 वर्ष,  
निवासी-ग्राम मोहगांव, थाना बैहर,  
तहसील बैहर, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

#### आरोपीगण

#### // निर्णय //

#### (आज दिनांक-14/10/2015 को घोषित)

1- आरोपीगण के विरुद्ध वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-9, 35(6) के तहत आरोप है कि उन्होंने दिनांक-31.12.2005 को शाम के समय स्थान मोहगांव बफर जोन वनमण्डल खापा परिक्षेत्र में देवीदास के तालाब के पास वन्य पशु चीतल का शिकार किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-02.01.2006 को वनरक्षक शिवचंद ठाकरे को सूचना प्राप्त हुई कि देवीदास के तालाब में वन्य प्राणी चीतल का शव तैरता हुआ, दिखाई दे रहा है। उक्त सूचना पर वनरक्षक ठाकरे के द्वारा देवीदास तथा अन्य के सहयोग से उसके तालाब से चीतल का शव निकालकर मौका पंचनामा तथा जप्तीनामा तैयार कर पी.ओ.आर. नंबर 4673/73 जारी किया गया। उसके पश्चात् विभागीय अधिकारी सहायक संचालक को उक्त की सूचना देकर मृत चीतल का शव परीक्षण कराकर पंचनामा तैयार कर शव को नष्ट किया गया और चमड़ा शिवचंद ठाकरे के प्रभार में दिया गया। दिनांक-04.01.2006 को मोहगांव में गोपनीय जानकारी के आधार पर आरोपी ज्ञानसिंह को बुलाकर पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार कर अन्य आरोपीगण के साथ लाठी से चीतल को मारने और कुल्हाड़ी से काटकर चमड़ा निकालकर उसका मांस आपस में बांट लेने के पश्चात् चीतल के पैर, सिर व चमड़े को देवीदास के तालाब में फेंक देना स्वीकार किया है।

आरोपीगण द्वारा जुर्म स्वीकारोक्ति के कथन लेख किये गए। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये, तथा आरोपीगण को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत परिवाद पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-9, 35(6) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपीगण ने धारा-313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त परीक्षण में स्वयं को निर्दोष होना व झूठा फंसाया जाना व्यक्त किया। आरोपीगण ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक-31.12.2005 को शाम के समय स्थान मोहगांव बफर जोन वनमण्डल खापा परिक्षेत्र में देवीदास के तालाब के पास वन्य पशु चीतल का शिकार किया ?

#### विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— देवीदास (अ.सा.1) ने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि वह सभी आरोपीगण को जानता है। ग्राम मोहगांव में उसका तालाब है। दिनांक-01.01.2006 को जब वह भैंस नहलाने गया था तो उसे 2-4 मछली मरी हुई दिखाई दी थी। उसने घर आकर अपने भाई को बताया था। उन्होंने मछुवारे को बुलाकर मछली निकालने के लिए कहा, तब मछली निकालते समय मछली के जाल में चीतल का चमड़ा व सिर मिला था, तब वे उसे देखकर चुप रहे और शाम को फॉरेस्ट नाके पर जाकर ठाकरे बीटगार्ड को सूचना दिए थे। घटना के दूसरे दिन सुबह वन विभाग वाले आए थे। साक्षी ने वन परिक्षेत्र अधिकारी को लिखित सूचना प्रदर्श पी-1 दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने वनविभाग वाले तालाब गए थे और मौके पर दिनांक-02.01.2006 को पंचनामा प्रदर्श पी-2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल पर चीतल का चमड़ा व सिर मिला था। उसके समक्ष उक्त सामान को जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके सामने पी.ओ.आर प्रदर्श पी-4 काटा गया था। उसने अपना बयान वन विभाग वालों को दिया था।

6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त मृत चीतल कैसे आकर मरा वह नहीं जानता तथा उक्त चीतल को किसने और कब मारा

उसे जानकारी नहीं है। इस प्रकार साक्षी ने केवल इस तथ्य की पुष्टि की है कि तालाब से मृत चीतल का सिर व चमड़ा पाया गया था, जिसे वन विभाग वालों ने जप्त किया था।

7— शिवचंद ठाकरे (अ.सा.2) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह सितंबर 2000 से सरेखा बीट में वन रक्षक के पद पर पदस्थ था। दिनांक-02.01.2006 को देवीदास ने सूचना दी कि उसके तालाब से चीतल का सिर, चमड़ा व पैर मिले थे, तो वह मौके पर गया था। उसने चीतल के अवशेष को बाहर निकलवाकर पी.ओ.आर क्रमांक-4673/13 प्रदर्श पी-4 जारी किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने मौके का पंचनामा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था। उसे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि आरोपीगण ने चीतल को मारा है, जिस पर उसने अधिकारीगण के साथ आरोपीगण से पूछताछ किया था। आरोपीगण ने पूछताछ में उक्त चीतल को कुत्ते व लाठी से मारना बताया था। उसने चीतल के अवशेष की फोटो लेने के पश्चात् नष्टीकरण का पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— उक्त साक्षी का यह भी कथन है कि उसने मृत चीतल का सिर, पैर व चमड़ा जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-3 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं और लाठी व खून से सनी मिट्टी जप्त कर पंचनामा प्रदर्श पी-8 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-9 एवं 10 तैयार किया था। उसने आरोपी झामसिंह के बताए अनुसार कुल्हाड़ी मिट्टी आदि जप्त कर जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-11 तैयार किया था और आरोपी फगन का बयान प्रदर्श पी-12 लेख किया था, जिसमें उसने बताया कि उसने चीतल मारकर उसका सिर व चमड़ा तालाब में फेंक दिया था। उक्त बयान पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कहना है कि इसी प्रकार उसने आरोपी दिलीप, झामसिंह, मन्नू, चैतराम, मानसिंह, चैनसिंह, दुरप व प्रेमसिंह का बयान प्रदर्श पी-13 लगायत प्रदर्श पी-20 लेख किया था। उसने साक्षी देवीदास का बयान प्रदर्श पी-5, अमरत, संतोष, चरणसिंह का बयान प्रदर्श पी-21 लगायत प्रदर्श पी-23 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने नजरीनक्शा प्रदर्श पी-24 एवं प्रदर्श पी-25 तैयार कर अपना बयान प्रदर्श पी-26 लिखकर दिया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा वन्य प्राणी के अवशेष का परीक्षण कराया था, जिसकी रिपोर्ट प्रकरण में संलग्न नहीं है।

9— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि जप्ती कार्यवाही के समय आरोपी अज्ञात थे तथा जप्ती कार्यवाही में समय का उल्लेख नहीं किया गया है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि जप्ती की कार्यवाही खुले स्थान से की गई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि उसका बयान परिक्षेत्र अधिकारी ने नहीं लिया था, क्यों प्रकरण का अन्वेषण नहीं हुआ था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसे प्रकरण में अनुसंधान करने का अधिकार नहीं है तथा वह शुरू से ही वनरक्षक के पद पर पदस्थ है। इस प्रकार साक्षी के प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य प्रकट होता है कि उसने वनरक्षक के रूप में प्रकरण में संपूर्ण कार्यवाही की है, जबकि उसे अनुसंधान कार्यवाही करने की शक्ति प्रदत्त नहीं थी। इस साक्षी ने स्वयं ही अनुसंधान कार्यवाही के दौरान आरोपीगण के स्वीकारोक्ति के भी कथन लेख किये हैं।

10— संतलाल (अ.सा.3) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना के समय वह गश्ती पर था तो मोहगांव के तालाब में चीतल का चमड़ा मिले होने की जानकारी प्राप्त हुई। उसके सामने आरोपीगण की गिरफ्तारी हुई थी और उसके समक्ष घटनास्थल से चीतल का चमड़ा जप्त हुआ था। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसने उसके सामने मरे हुए चीतल की लादी, खून, मिट्टी, मांस काटने का औजार, पत्थर आदि जप्त किया जाना स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके सामने तालाब से चमड़ा नहीं निकला था। उसने अपने कथन में जप्तीपंचनामा के बाबत कोई जानकारी नहीं दी थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने तालाब से मृत चीतल नहीं निकाला गया था तथा वह नहीं बता सकता कि प्रदर्श पी-2 में उक्त बात कैसे लिखी गई। इस प्रकार साक्षी ने किसी भी कार्यवाही का समर्थन नहीं किया है। साक्षी के कथन से अभियोजन को कोई समर्थन प्राप्त नहीं होता है।

11— रायसिंह (अ.सा.4) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी झामसिंह के अलावा शेष आरोपीगण को नहीं जानता। उसके सामने आरोपी झामसिंह ने कोई जानकारी नहीं दी। उसके सामने आरोपी से कोई जप्ती की कार्यवाही नहीं हुई। जप्तीपंचनामा प्रदर्श पी-18 व प्रदर्श पी-7 पर व नजरीनक्शा प्रदर्श पी-25 पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने किसी भी कार्यवाही का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है। साक्षी ने केवल दस्तावेजी कार्यवाही पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण



में यह स्वीकार किया है कि उसे घटना के बारे में जानकारी नहीं है तथा वह घटना के समय ईको विकास समिति का सदस्य था, जिस कारण वन विभाग वालों ने उससे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे। साक्षी ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसके सामने कोई कार्यवाही नहीं हुई थी।

12— प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट होता है कि मामलें में देवीदास के तालाब से कथित चीतल का चमड़ा व सिर के पाए जाने के पश्चात् सूचना के आधार पर वनरक्षक शिवचंद ठाकरे ने ही मामलें में संपूर्ण कार्यवाही अकेले निष्पादित कर ली। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रकरण में कथित जप्ती की कार्यवाही के पश्चात् मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपीगण के द्वारा स्वीकारोक्ति के आधार पर उन्हें इस अपराध में अभियोजित किया गया है। जबकि आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति लेख करने हेतु वनरक्षक शिवचंद ठाकरे (अ.सा.2) ने स्वयं को सक्षम अधिकारी न होना स्वीकार किया है। ऐसी दशा में मामलें में की गई अनुसंधान कार्यवाही एवं कथित स्वीकारोक्ति की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण एवं अवैध रूप से निष्पादित किया जाना प्रकट होता है।

13— प्रकरण में अभियोजन का मामला आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति पर ही पूर्णतः निर्भर है। ऐसी दशा में यदि तर्क के लिए यह मान भी लिया जाए कि वनरक्षक के द्वारा आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति के अनुसार आरोपीगण ने कथित चीतल का शिकार किया है, तब भी मात्र स्वीकारोक्ति के आधार पर कथित अपराध के लिए अन्य संपुष्टि कारक साक्ष्य के अभाव में आरोपीगण को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता। प्रकरण में आरोपीगण की कथित स्वीकारोक्ति एवं जप्ती की कार्यवाही विधि पूर्वक प्रमाणित नहीं है और न ही आरोपीगण के विरुद्ध कथित अपराध के संबंध में कोई साक्ष्य उपलब्ध है। ऐसी दशा में आरोपीगण के विरुद्ध मामला पूर्णतः संदेहास्पद प्रकट होता है।

14— उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरान्त यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण ने दिनांक-31.12.2005 को शाम के समय स्थान मोहगांव बफर जोन वनमण्डल खापा परिक्षेत्र में देवीदास के तालाब के पास वन्य पशु चीतल का शिकार किया। फलस्वरूप आरोपीगण को वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा-51 एवं सहपठित धारा-9, 35(6) के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

- 15— आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 16— मामले में आरोपी फगनसिंह, दिलीप, झामसिंह दिनांक—04.01.2006 से दिनांक—13.01.2006 तक अभिरक्षा में रहें हैं तथा शेष आरोपीगण न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहें हैं। उक्त के संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रमाण—पत्र तैयार किया जाये।
- 17— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति चमड़ा अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किये जाने हेतु मुख्य वन संरक्षक बालाघाट को सुपुर्द किया जावे अथवा अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व  
दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,  
जिला—बालाघाट